उक्त आदेश पर निम्न शर्तें लागू होंगी:—

1. आवार्तित आवास अधिकारी आवास है। आवास का कब्जा आवंटन होने की विधि से 8 दिन में प्राप्त करना होगा। इस अवधि में कब्ज़ा न लेने पर आवंटन आदेश रद्द होता है।

2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के शर्तों का अनुसार और वस्तुतः नियम, 1998 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण तथा सर्वानुप्रौद्योगिकी हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यकुल होने की लिथि से ही माह परिचाल आवास रित करना होगा।

4. नववर्ती तथा पली/बच्चों के नाम से पद्धतापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।

5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आरोपित वितरण अधिकारी कृपया आवासी के द्वारा आवास का क्षेत्र आवटन होने की लिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा, अन्यथा निर्धारित अंदह उपरलिख आवासी अधिकारी का मनमाने, किराया भुत्ता बन्ध करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को निजियताओं का भ्रम कराये।

6. आवासी को आविष्करता राजकीय आवास संख्या का क्षेत्र लेने से पूर्व संबंधित अधिष्ठात्री अभियुक्ता/अधिष्ठात्री अभियुक्ता को यह घोषणा करती होगी :-
   1. आवेदन त्रसूल करने के पश्चात आविष्कर राजकीय आवास का क्षेत्र लेने तक की अवधि में आवासी निगमन जयपुर में ही पद्धताधिकार स्थित है।
   2. आवेदन करने की लिथि से आविष्करता राजकीय आवास के क्षेत्र लेने तक की अवधि में आवासी के द्वारा कोई रवोन पत्र/पत्रिका या उन पर आविष्कर किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

7. उपरोक्त के अंतिकरण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से


d.व. (अभियुक्त कुमार गुरु) शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाभर्ता एवं आविष्कर कार्यवाही हेतु प्रस्तीत है :-

1. संभाषी आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा सदनावली, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पूर्ण विभाग, निजी सदनावली, जयपुर।
4. मुख्य अभियुक्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अधिशासी अभियुक्ता, सार्वजनिक विभाग (किस्तु वृद्ध) जयपुर।
6. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
7. अधिशासी अभियुक्ता, सहायक अभियुक्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाधीनगर, को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को सुनिश्चित कर क्षेत्र देवे।
8. अधिशासी अभियुक्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर विशिष्टविद्यालय लि. ग्रामीण, जयपुर।
9. आयुक्त, सर्वाधिकारक अयुक्त।
10. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जयपुर।
11. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
12. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (डी-2) विभाग।
13. निजी सचिव, अन्तर्गत मुख्य सचिव, सचिव।
14. निजी सहायक, शासन उप सचिव (डी) सामान्य प्रशासन विभाग।
15. सहायक प्रुयांग, सा.प्र.वि. कृपया आवटन पत्र एवं वरीयता सूची वेबसाइट पर डाले।
16. रक्षित पत्रांवली।

शासन सहायक सचिव